संख्या-2/2024/139-57-2024-36-G-2016 TC

प्रेषक,

लक्ष्मण राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उ0प्र0, वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य विभाग **लखनऊ : दिनांक 31 जनवरी, 2024**

विषय:- **आम जनमानस को उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं को इन्टीग्रेटेड सर्विस पोर्टल (ISP) से इन्टीग्रेड करने एवं अनुरक्षण सम्बन्धी बिल का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ प्रबन्धक (सॉफ्टवेयर), यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- यूपीएलसी: सॉफ्टवेयर:3108:2023-24:935:2020, दिनांक 11.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि0 द्वारा आम जनमानस को उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं को इन्टीग्रेटेड सर्विस पोर्टल (ISP) से इन्टीग्रेड करने एवं अनुरक्षण हेतु किये गये कार्य के संबंध में बीजक संख्या-041, धनराशि 4,21,526/- का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि0 द्वारा धर्मार्थ कार्य विभाग की आम जनमानस को उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं को इन्टीग्रेटेड सर्विस पोर्टल (ISP) से इन्टीग्रेड करने एवं अनुरक्षण सम्बन्धी किये गये कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि रू0 33.00 लाख के सापेक्ष देय धनराशि रू0 4,21,526/- (चार लाख इक्कीस हज़ार पांच सौ छब्बीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) जी0एस0टी0 के मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि0, लखनऊ के द्वारा राजकोष में जमा किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 वाराणसी/आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पद धारक द्वारा शासनादेश के अनुसार कोषागार वाराणसी से किया जायेगा तथा आहरित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,21,526 (रुपये चार लाख इक्कीस हजार पांच सौ छब्बीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या**-084, **लेखा शीर्षक**-2250001010700 ई डिस्ट्रिक योजनान्तर्गत इलेक्ट्रानिक डिलवरी के माध्यम से प्रदान की जा रही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

सेवाओं को इन्ट्रीग्रेशन **मानक मद-**16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-2/2024/139-57-2024-36-G-2016 TC, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक अनुभाग-2।
3. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि0, लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ०प्र० वाराणसी।
5. वित्त नियंत्रक आयुक्त, वाराणसी मण्डल।
6. कोषाधिकारी, वाराणसी।
7. वरिष्ठ प्रबन्धक (सॉफ्टवेयर), यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. वित्त- व्यय नियन्त्रण अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
9. सामान्य प्रशासन अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
10. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।